



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062020-220086  
CG-DL-E-22062020-220086

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1777]  
No. 1777]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2020/आषाढ़ 1, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2020/ASADHA 1, 1942

गृह मंत्रालय  
(सीटीसीआर प्रभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2020

**का.आ.1997(अ).**—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (i) के प्रयोजन के लिए मामला संख्या RC-08/2015/NIA/DLI का विचारण करने हेतु, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 4154 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित किए अनुसार, जब तक वर्तमान न्यायाधीश एनआईए विशेष न्यायालय, जम्मू में स्थानापन्न न्यायाधीश हैं, एतद्वारा केवल तब तक, जम्मू में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्घिष्ट करती है।

उपर्युक्त उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में होगा।

[फा.सं.11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****(CTCR DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2020

**S.O. 1997(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Jammu & Kashmir, hereby designates the Court of 2<sup>nd</sup> Additional District & Sessions Judge at Jammu as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for conducting the trial of Case No. RC-08/2015/NIA/DLI, only till the present Judge is officiating in the NIA Special Court, Jammu, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4154 (E), dated the 18<sup>th</sup> November, 2019.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Jammu & Kashmir.

[F.No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.